भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4730

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत मल-जल निकासी और मल-जल शोधन प्रबंधन

†4730. श्री नवीन जिंदलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अमृत और अमृत 2.0 में शहरी क्षेत्रों में मल-जल निकासी और मल-जल शोधन प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों मिशनों के अंतर्गत आज की तिथि तक कुल कितनी मल-जल शोधन परियोजनाओं को स्थापित और अनुमोदित कर दिया गया है;

(ग) इन मिशनों के अंतर्गत सृजित और अनुमोदित कुल मल-जल शोधन क्षमता (एमएलडी में) कितनी है;

(घ) क्या शोधित मल-जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के लिए विशिष्ट क्षमताएं निर्धारित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का अमृत 2.0 के अंतर्गत मौजूदा मल-जल शोधन संयंत्रों के उन्नयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को और प्रोत्साहन अथवा सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलयित शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू किया गया अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शहरी

क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन आदि क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना के विकास पर केंद्रित था। शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के उद्देश्य से अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।

अमृत के अंतर्गत, 34,447 करोड़ रुपए की लागत की 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है। अमृत के अंतर्गत, 4,622 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता (नई/संवर्धित) बनाई गई है, जिसमें से 1,437 एमएलडी क्षमता रीसायकल/रीयूस के लिए विकसित की गई है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 68,461.78 करोड़ रुपए की लागत से 586 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ शुरू की हैं। अनुमोदित परियोजनाओं में 6,964 एमएलडी (नए/संवर्धित) सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) क्षमता शामिल है, जिनमें से 1,938.96 एमएलडी एसटीपी क्षमता रीसायकल/रीयूस के लिए है।

अमृत 2.0 सुधारों के तहत "जल ही अमृत" का उद्देश्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को सतत आधार पर पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने वाले पुनरूपयोग योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षमता निर्माण करना और शोधित निर्वहन अपशिष्ट में गुणात्मक सुधार करना है। इस पहल के तहत कुल 860 एसटीपी ने मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी है ।

*****